बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–11/2016 196 /पटना, दिनांकः– 13/06/22

कार्यालय आदेश

श्री शंभु शंकर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, रीगा, सीतामढ़ी संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध वर्ष 2012–13 में क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में 2322.38 क्विंटल धान गबन कर लेने जिसका मूल्य 3029312.47/–रूपये (तीस लाख उनतीस हजार तीन सौ बारह रूपये सैंतालीस पैसे) के आरोप में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक– 114/स्था० दिनांक–09.02.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–82 सहपठित ज्ञापांक–611 दिनांक–29.03.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री शंभु शंकर के विरूद्ध डुमरा थाना कांड संख्या–50/2016 दिनांक–15.02.2016 दर्ज किया गया है साथ ही इनके विरूद्ध जिला निलामपत्र पदाधिकारी, सीतामढ़ी के यहाँ निलामपत्र वाद संख्या–6/2015–16 भी दर्ज किया गया है।

2. श्री शंभु शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), सीतामढ़ी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–78 दिनांक–05.10.2016 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"आरोपी पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' में 2322.38 क्विंटल धान का गबन कर लिये जाने का आरोप है जबकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–126 दिनांक–15.02.2016 के द्वारा थाना डुमरा में 5852.27 क्विंटल धान आरोपी के लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण निगम को आर्थिक क्षति होने संबंधी आरोप पर डुमरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है । साथ ही राशि वसूली हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के यहॉ भी निलाम वाद दायर किया गया है जिसमें लापरवाही से क्षति होना दर्शाया गया है । इसी बीच श्री शंकर का स्थानांतरण विभाग द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका, जिला–मधुबनी के पद पर किये जाने के पश्चात जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–578 दिनांक–

14.11.2013 द्वारा इन्हें इनके नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया एवं विभाग द्वारा धान का रख–रखाव समुचित ढंग से नहीं होने के कारण धान क्षतिग्रस्त होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यो एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1719 दिनांक–03.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य भेजने का अनुरोध किया गया। अनेकों स्मार के बावजूद जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य अबतक अप्राप्त है।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के लिए और समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सवेक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (2) में किये गये प्रावधान के तहत निम्न असहमति का बिन्दु गठित किया गया :–

''धान अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में क्रय केन्द्र प्रभारी, रीगा के रूप में आपके द्वारा 60321.05 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी जिसमें से मात्र 54468.77 क्विंटल धान मिलर को आपूर्ति किया गया और 5852.27 क्विंटल धान आपके क्रय केन्द्र में भण्डारित रहा। भण्डारित धान में से निलामी के माध्यम से श्री शंकर द्वारा 3529.89 क्विंटल धान निलाम प्राप्तकर्त्ता को आपूर्ति की गयी, शेष 2322.38 क्विंटल धान की आपूर्ति नहीं की गयी एवं उसका गबन कर लिया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि श्री शंकर द्वारा अपनी जिम्मेवारी का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया।''

5. असहमति के गठित उक्त बिन्दु पर बिहार सरकारी सवेक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–99 दिनांक–11.01.2022 द्वारा श्री शंभु शंकर से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री शंभु शंकर ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है:–

(i) उन्हें रीगा प्रखंड में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति के समाप्त होने तक प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र पर पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्ति किया गया था यानि उनकी प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा दिनांक–15.04.2013 तक ही की गई थी।

(ii) दिनांक–19.04.2013 से लगातार वर्षा प्रारंभ हो गई थी जिसके फलस्वरूप प्रखंड परिसर, रीगा एवं बागमती योजना के निरीक्षण भवन में भंडारित धान क्षतिग्रस्त होने लगा। रीगा विस्कोमान

के गोदाम में भी अधिप्राप्ति धान का भंडारण किया गया था। लगातार वर्षा के कारण गोदाम का दक्षिणी भाग पूरी तरह ध्वस्त होकर गिर गया जिससे कारण गोदाम में भंडारित धान पूर्णरूपेण असुरक्षित स्थिति में हो गया। परन्तु राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी के जिला प्रबंधक जो उठाव एवं क्रयित धान के सुरक्षा के लिए जिम्मेवार थे, उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

(iii) चूँकि वहाँ क्रय केन्द्र के लिए कोई दूसरा प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया था लेकिन परिस्थितिवश वहाँ के प्रवर्तन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, रीगा के मौखिक अनुदेश पर वे पर्यवेक्षक के साथ–साथ प्रभारी के रूप में कार्य किये।

प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात वे मूल पद पर वापस आ गए।

(iv) वरीय सहायक प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–66 दिनांक–10.01.2014 के द्वारा अधिप्राप्ति में बचे हुए धान का रीगा क्रय केन्द्र पर निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया कि क्रय केन्द्र पर मुख्य रूप से खुले आकाश के नीचे रहने के कारण धान की क्षति हुई है।

(v) वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 60321.05 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हुई थी, जिसमें 54468.77 क्विंटल धान मिलर को दिया गया एवं 3529.89 क्विंटल धान निलामी प्राप्तकर्त्ता को आपूर्त्ति की गई। निलामी प्राप्तकर्त्ता को धान की आपूर्त्ति जिला प्रबंधक के स्तर से की गई थी ।

उपरोक्त समर्पित तथ्यों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है ।

श्री शंभु शंकर की नियुक्ति पर्यवेक्षक के रूप में की गयी थी परन्तु उनके द्वारा पर्यवेक्षक के साथ–साथ क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में भी कार्य किया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के कारण श्री शंभु शंकर को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अधिप्राप्त धान का रख–रखाव बेहतर ढंग से करना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य में घोर लापरवाही बरती गयी जिसके कारण धान क्षतिग्रस्त हुआ एवं 2322.38 क्विंटल धान का गबन कर लिया गया जिसका मूल्य 30,29,312.47/– (तीस लाख उनतीस हजार तीन सौ बारह रूपये सैंतालीस पैसे) होता है। अतएव इनका अभ्यावेदन अस्वीकार योग्य है।

अतः श्री शंभु शंकर के विरूद्ध गठित असहमति के बिन्दु के प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध संचयी प्रभाव के साथ 05 (पाँच) वेतनवृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री शंभु शंकर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, रीगा, सीतामढ़ी संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) के तहत संचयी प्रभाव के साथ 05 (पाँच) वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–11/2016 1038 /पटना, दिनांक :– 13/06/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक–114/स्था० दिनांक–09.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री शंभु शंकर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, रीगा, सीतामढ़ी संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6

निदेशक

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"